भारतीय दण्ड संहिता, 1860

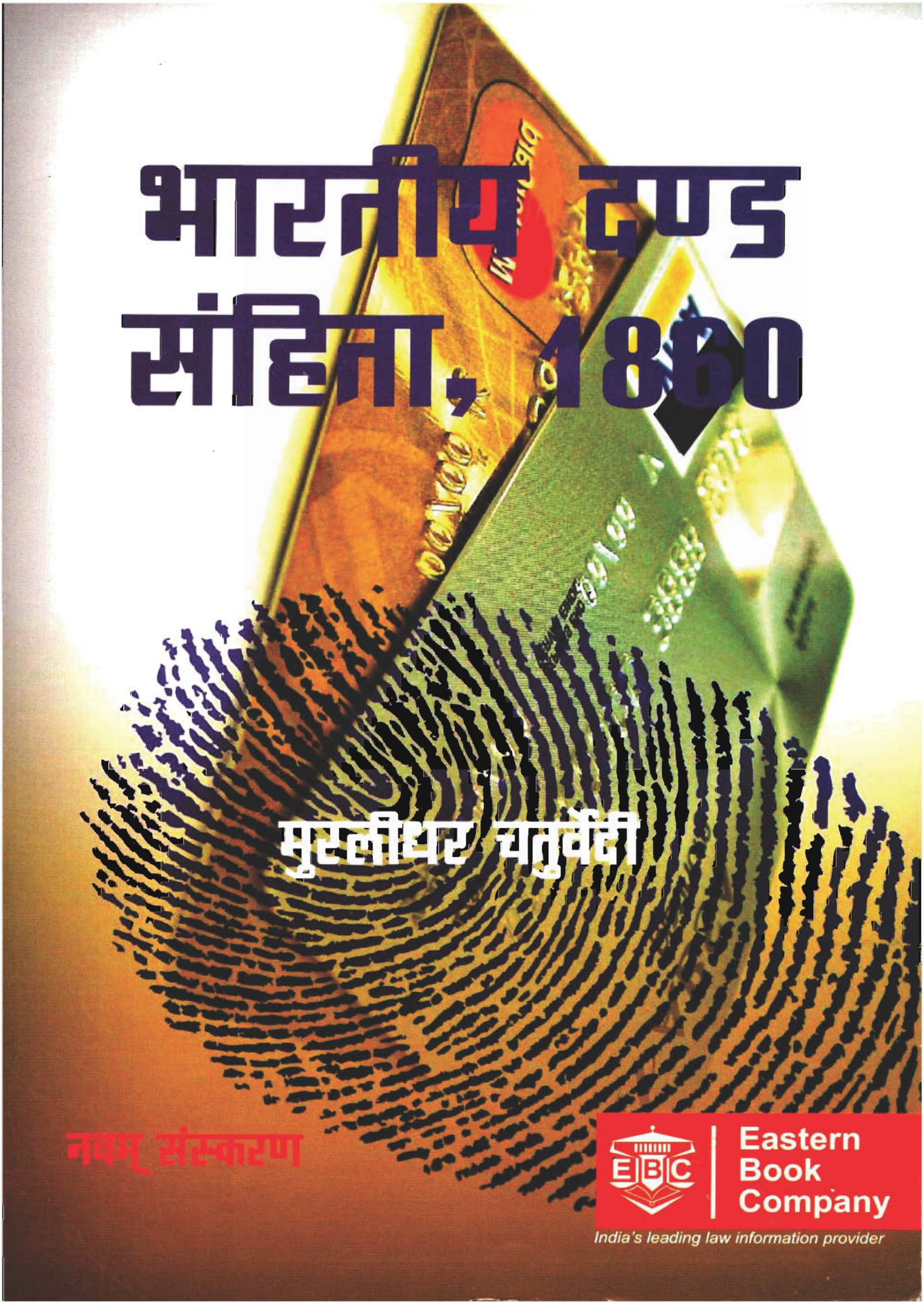

मुरलीधर चतुर्वेदी

नवम् संस्करण

Eastern Book Company
India's leading law information provider

प्राक्कथन

विधि एवं न्याय के क्षेत्र में हिन्दी का अभी तक उचित स्थान न होने का एक प्रमुख कारण इस भाषा में उचित स्तर की टीकाओं का अभाव है। इसलिये इस ओर प्रत्येक अच्छे प्रयास का स्वागत है।

भारतीय दण्ड संहिता विधायन का एक सुन्दर नमूना है। लॉर्ड मैकाले की तीव्र बुद्धि इसमें परिलक्षित होती है। एक शताब्दी से भी अधिक काल तक इसका प्रवर्तन यह मानने को विवश कर देता है कि यह व्यक्ति वास्तव में एक महान विधिशास्त्री था। ऐसे महान विधिशास्त्री की आंगल भाषा में रचित भारतीय दण्ड संहिता को हिन्दी भाषा में अपनी टीका का विषय चुन कर प्रो. चतुर्वेदी ने इस क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान किया है।

हिन्दी भाषा में दण्ड संहिता पर लिखी गई पुस्तकों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। इनमें कुछ पुस्तकें केवल विधिशास्त्र के विद्यार्थियों के लिये हैं तथा कुछ केवल न्यायालयों के लिये हैं। प्रस्तुत पुस्तक यद्यपि धारावाही क्रम में लिखी गई है, परन्तु वह ऐसी विशद् टिप्पणियों से युक्त है कि जिनसे न केवल छात्रों, प्राध्यापकों, पुलिस व अधिकारियों की आवश्यकतायें पूरी होती हैं, बल्कि न्यायालयों और अधिवक्ताओं के लिए भी बहुत उपयोगी है।

पुस्तक को उपयोगी बनाने के लिए लेखक ने वास्तव में बड़ा परिश्रम किया है। किसी भी प्रावधान की व्याख्या करते समय न केवल उस सम्बन्ध में उपलब्ध प्राचीन भारतीय और ब्रिटिश विधि तथा उच्च और उच्चतम न्यायालयों की व्यवस्थाओं (Rulings) का उचित प्रसंग में उल्लेख और उनका विशद् विवेचन करके निर्णय के आधार बताये हैं, बल्कि उसको विधिशास्त्रीय ढंग से प्रत्येक दृष्टिकोण से स्पष्ट करने का अच्छा प्रयास किया है।

दण्ड संहिता में कई प्रमुख प्रश्न न्यायालयों व विधिशास्त्रियों द्वारा विशद् विवेचन की हमेशा अपेक्षा करते रहेंगे। उनमें धारा 34 के सामान्य आशय, धारा 141 का सामान्य उद्देश्य, साधारण अपवादों, अभियुक्त को प्रतिरक्षा के अधिकार, आपराधिक मानव वध व हत्या प्रमुख हैं। लेखक ने इन विषयों की बारीकियों का पर्याप्त विश्लेषण किया है। मृत्युदण्ड की संवैधानिकता के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों, जैसे—जगमोहन सिंह ब. उत्तर प्रदेश; राजेन्द्र प्रसाद ब. उत्तर प्रदेश तथा बचन सिंह ब. पंजाब राज्य की बड़ी ही विद्वत्तापूर्ण विवेचना की है।

प्रो. चतुर्वेदी वास्तव में बधाई के पात्र हैं। भारत सरकार ने तो उनकी इस कृति के लिये पुरस्कार देकर सम्मानित किया ही है, आशा है कि विधि क्षेत्र के व्यक्ति भी पुस्तक को अपनाकर उन्हें अन्य ऐसी ही विशद् टीकाएं लिखने के लिये प्रोत्साहित करेंगे।

25-7-1982

—महावीर सिंह
जज, उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद

विषय-सूची

धाराएं

दण्ड-विधि के साधारण सिद्धान्त .. ..

अध्याय 1

प्रस्तावना

धारा 1. संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार.. .. ..

धारा 2. भारत के भीतर किए गए अपराधों का दण्ड .. .. ..

धारा 3. भारत से परे किए गए किन्तु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दण्ड .. ..

धारा 4. राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार.. .. ..

धारा 5. कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना ..

अध्याय 2

साधारण स्पष्टीकरण

धारा 6. संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्यधीन समझा जाना..

धारा 7. एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव .. ..

धारा 8. लिंग .. ..

धारा 9. वचन .. ..

धारा 10. 'पुरुष', 'स्त्री' .. ..

धारा 11. 'व्यक्ति' .. ..

धारा 12. 'लोक' .. ..

धारा 13. "क्वीन" की परिभाषा [निरसित] .. ..

धारा 14. "सरकार का सेवक" .. ..

धारा 15. "ब्रिटिश इन्डिया" की परिभाषा [निरसित] .. .. ..

धारा 16. "गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया" की परिभाषा [निरसित] .. ..

धारा 17. "सरकार" [निरसित] .. ..

धारा 18. "भारत" .. ..

धारा 19. "न्यायाधीश" .. ..

धारा 20. 'न्यायालय' .. ..

धारा 21. 'लोक सेवक' .. ..

धाराएं

धारा 22. 'जंगम सम्पत्ति' .. ..
धारा 23. 'सदोष अभिलाभ' .. ..
धारा 24. 'बेईमानी से' .. ..
धारा 25. 'कपटपूर्वक' .. ..
धारा 26. 'विश्वास करने का कारण' .. ..
धारा 27. 'पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में सम्पत्ति' .. .. ..
धारा 28. 'कूटकरण' .. ..
धारा 29. 'दस्तावेज' .. ..
29-क. 'इलैक्ट्रानिक अभिलेख' .. ..
धारा 30. 'मूल्यवान प्रतिभूति' .. ..
धारा 31. 'विल' .. ..
धारा 32. कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अन्तर्गत अवैध लोप आते हैं. .
धारा 33. 'कार्य', 'लोप' .. ..
धारा 34. सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य
धारा 35. जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है .. ..
धारा 36. अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम. . .. ..
धारा 37. किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना .. ..
धारा 38. आपराधिक कार्य में सम्पृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे
धारा 39. 'स्वेच्छया' .. ..
धारा 40. 'अपराध' .. ..
धारा 41. 'विशेष विधि' .. ..
धारा 42. 'स्थानीय विधि' .. ..
धारा 43. 'अवैध', 'करने के लिए वैध रूप से आबद्ध' .. .. ..
धारा 44. 'क्षति' .. ..
धारा 45. 'जीवन' .. ..
धारा 46. 'मृत्यु' .. ..
धारा 47. 'जीवजन्तु' .. ..
धारा 48. जलयान .. ..
धारा 49. 'वर्ष', 'मास' .. ..
धारा 50. 'धारा' .. ..

धाराएं

धारा 51. 'शपथ' .. ..

धारा 52. 'सद्भावपूर्वक' .. ..

52-क. 'संश्रय' .. ..

अध्याय 3

दण्डों के विषय में

धारा 53. 'दण्ड' .. ..

53-क. निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना .. .. ..

धारा 54. मृत्यु दण्डादेश का लघुकरण .. ..

धारा 55. आजीवन कारावास के दण्डादेश का लघुकरण .. .. ..

55-क. 'समुचित सरकार' की परिभाषा .. ..

धारा 56. यूरोपियों तथा अमरीकियों को कठोर श्रम कारावास का दण्डादेश दस वर्ष से अधिक किन्तु जो आजीवन कारावास से अधिक न हो, दण्डादेश के सम्बन्ध में परन्तुक [निरसित] .. ..

धारा 57. दण्डावधियों की भिन्नें .. ..

धारा 58. निर्वासन से दण्डादिष्ट अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक वे निर्वासित न कर दिए जाएं [निरसित]. . .. .

धारा 59. कारावास के बदले निर्वासन [निरसित] .. ..

धारा 60. दंडादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में सम्पूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा .. ..

धारा 61. संपत्ति के समपहरण का दण्डादेश [निरसित] .. .. ..

धारा 62. मृत्यु, निर्वासन या कारावास से दण्डनीय अपराधियों की बाबत संपत्ति का समपहरण [निरसित] .. ..

धारा 63. जुर्माने की रकम .. ..

धारा 64. जुर्माना न देने पर कारावास का दण्डादेश .. .. ..

धारा 65. जब कि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किये जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि .. .. ..

धारा 66. जुर्माना न देने पर किस भाँति का कारावास दिया जाए . . .. ..

धारा 67. जुर्माना न देने पर कारावास, जब कि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो

धारा 68. जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना .. .. ..

धारा 69. जुर्माने के आनुपातिक भाग के दे दिये जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान .. ..

धारा 70. जुर्माने का छह वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहणीय होना: सम्पत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती .. ..

धाराएं

धारा 71. कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दण्ड की अवधि ..

धारा 72. कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दण्ड जब कि निर्णय में यह कथित है कि यह सन्देह है कि वह किस अपराध का दोषी है ..

धारा 73. एकान्त परिरोध .. ..

धारा 74. एकान्त परिरोध की अवधि .. ..

धारा 75. पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिये वर्धित दण्ड .. ..

अध्याय 4

साधारण अपवाद

धारा 76. विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य ..

धारा 77. न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य.. .. .. ..

धारा 78. न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य ..

धारा 79. विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य .. ..

धारा 80. विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना .. ..

धारा 81. कार्य, जिससे अपहानि कारित होना सम्भाव्य है, किन्तु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिये किया गया है

धारा 82. सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य .. .. ..

धारा 83. सात वर्ष से ऊपर किन्तु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य .. ..

धारा 84. विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य .. ..

धारा 85. ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुँचने में असमर्थ है .. ..

धारा 86. किसी व्यक्ति द्वारा, जो मत्तता में है, किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है .. ..

धारा 87. सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी सम्भाव्यता का ज्ञान हो .. ..

धारा 88. किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है.. .. ..

धारा 89. संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य .. ..

धारा 90. सम्मति, जिसके सम्बन्ध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है .. ..

धाराएं

धारा 91. ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वत: अपराध हैं

धारा 92. सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य .. ..

धारा 93. सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना .. ..

धारा 94. वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है .. ..

धारा 95. तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य .. ..

प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में

धारा 96. प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें .. ..

धारा 97. शरीर तथा सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार .. ..

धारा 98. ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो .. ..

धारा 99. कार्य, जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है ..

धारा 100. शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है .. ..

धारा 101. कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है .. ..

धारा 102. शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना ..

धारा 103. कब सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है .. ..

धारा 104. ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है .. ..

धारा 105. सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना ..

धारा 106. घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जब कि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है .. .. ..

अध्याय 5

दुष्प्रेरण के विषय में

धारा 107. किसी बात का दुष्प्रेरण .. ..

धारा 108. दुष्प्रेरक .. ..

108-क. भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण .. .. ..

धारा 109. दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाय, और जहाँ कि उसके दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है ..

धाराएं

धारा 110. दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है .. ..

धारा 111. दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है .. ..

धारा 112. दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिये और किये गये कार्य के लिये आकलित दण्ड से दण्डनीय है .. ..

धारा 113. दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो .. ..

धारा 114. अपराध किये जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति .. .. ..

धारा 115. मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण—यदि अपराध नहीं किया जाता .. ..

धारा 116. कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण—यदि अपराध न किया जाय यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है, जिसका कर्तव्य अपराध निवारित करना हो .. ..

धारा 117. लोक साधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किये जाने का दुष्प्रेरण .. ..

धारा 118. मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना .. ..

धारा 119. किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है .. .

यदि अपराध कर दिया जाये .. ..

यदि अपराध मृत्यु आदि से दण्डनीय है .. ..

यदि अपराध नहीं किया जाये .. ..

धारा 120. कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना . .

यदि अपराध कर दिया जाये—यदि अपराध नहीं किया जाय .. ..

अध्याय 5-क

आपराधिक षड्यंत्र

धारा 120-क. आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा . . ..

धारा 120-ख. आपराधिक षड्यंत्र का दण्ड .. ..

अध्याय 6

राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा 121. भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना .. .. ..

धाराएं

धारा 121-क. धारा 121 द्वारा दण्डनीय अपराधों को करने का षड्यन्त्र . . . .
धारा 122. भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना . . . . . .
धारा 123. युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना. .
धारा 124. किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना . . . . . .
धारा 124-क. राजद्रोह . . . . . .
धारा 125. भारत सरकार से मैत्री सम्बन्ध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना . . . . . .
धारा 126. भारत सरकार के साथ शान्ति का सम्बन्ध रखने वाली शक्ति के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करना . . . . . .
धारा 127. धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई सम्पत्ति प्राप्त करना . . . . . .
धारा 128. लोक सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्धकैदी को निकल भागने देना . . . . . .
धारा 129. उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना . .
धारा 130. ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना . . . . . .

अध्याय 7

सेना, नौसेना और वायुसेना से सम्बन्धित अपराधों के विषय में

धारा 131. विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना . . . . . .
धारा 132. विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए. .
धारा 133. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ ऑफिसर पर जब कि वह ऑफिसर अपने पद-निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण . .
धारा 134. ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाय. . . . . .
धारा 135. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण . . . .
धारा 136. अभित्याजक को संश्रय देना . . . . . .
धारा 137. मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छुपा हुआ अभित्याजक . . . . . .
धारा 138. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण . .
धारा 138-क. पूर्वोक्त धाराओं का भारतीय सामुद्रिक सेवा को लागू होना। [निरसित] . .

धाराएं

धारा 139. कुछ अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ति. . .. .

धारा 140. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना .. ..

अध्याय 8

लोक प्रशान्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा 141. विधिविरुद्ध जमाव .. ..

धारा 142. विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना. . .. .

धारा 143. दण्ड .. ..

धारा 144. घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना ..

धारा 145. किसी विधिविरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना ..

धारा 146. बल्वा करना .. ..

धारा 147. बल्वा करने के लिये दण्ड .. ..

धारा 148. घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना. . .. .

धारा 149. विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी .. ..

धारा 150. विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिये व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौनानुकूलता .. ..

धारा 151. पाँच या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात् उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना .. 257

धारा 152. लोक सेवक जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना .. ..

धारा 153. बल्वा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना—यदि बल्वा किया जाए—यदि बल्वा न किया जाए .. ..

धारा 153-क. धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना .. .. ..

धारा 153-कक. किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध लेकर चलने या आयुध के साथ किसी सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण को आयोजित करने या कराने या उसमें भाग लेने के लिये दण्ड .. .. ..

धारा 153-ख. राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान ..

धाराएं

धारा 154. उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी, जिस पर विधिविरुद्ध जमाव किया गया है .. ..

धारा 155. उस व्यक्ति का दायित्व, जिसके फायदे के लिये बल्वा किया जाता है ..

धारा 156. उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्त्ता का दायित्व, जिसके फायदे के लिये बल्वा किया जाता है .. ..

धारा 157. विधिविरुद्ध जमाव के लिये भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना ..

धारा 158. विधिविरुद्ध जमाव या बल्वे में भाग लेने के लिये भाड़े पर जाना या सशस्त्र चलना .. ..

धारा 159. दंगा .. ..

धारा 160. दंगा करने के लिए दण्ड .. ..

अध्याय 9

लोक सेवकों द्वारा या उनसे सम्बन्धित अपराधों के विषय में

धारा 161. वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण का लोक सेवक द्वारा पदीय कार्य के लिए लिया जाना [निरसित] .. ..

धारा 162. लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिये परितोषण का लेना [निरसित] .. ..

धारा 163. लोक सेवक पर वैयक्तिक असर डालने के लिये परितोषण का लेना [निरसित]

धारा 164. धारा 162 या 163 में परिभाषित अपराधों के लोक सेवक द्वारा दुष्प्रेरण के लिए दण्ड [निरसित] .. ..

धारा 165. लोक सेवक, जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या कारबार से सम्पृक्त व्यक्ति से, प्रतिफल के बिना, मूल्यवान चीज अभिप्राप्त करता है [निरसित] .. ..

धारा 165-क. धारा 161 या धारा 165 में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दण्ड [निरसित] .. ..

धारा 166. लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है .. ..

धारा 167. लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है .. ..

धारा 168. लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है .. ..

धारा 169. लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से सम्पत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है .. ..

धारा 170. लोक सेवक का प्रतिरूपण .. ..

धारा 171. कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना .. ..

धाराएं

अध्याय 9-क

निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों के विषय में

धारा 171-क. "अभ्यर्थी", "निर्वाचन अधिकार" परिभाषित .. .. ..
धारा 171-ख. रिश्वत .. ..
धारा 171-ग. निर्वाचनों में असम्यक् असर डालना .. ..
धारा 171-घ. निर्वाचनों में प्रतिरूपण .. ..
धारा 171-ङ. रिश्वत के लिए दण्ड .. ..
धारा 171-च. निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड ..
धारा 171-छ. निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन .. ..
धारा 171-ज. निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय .. ..
धारा 171-झ. निर्वाचन लेखा रखने में असफलता .. ..

अध्याय 10

लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में

धारा 172. समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना .. ..
धारा 173. समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना .. ..
धारा 174. लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर-हाजिर रहना .. ..
धारा174-क. 1974 के अधिनियम 2 की धारा 82 के अधीन की गई उद्घोषणा के प्रतिचार में हाजिर न होना .. ..
धारा 175. दस्तावेज पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज पेश करने का लोप .. ..
धारा 176. सूचना या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक
को सूचना या इत्तिला देने का लोप .. ..
धारा 177. मिथ्या इत्तिला देना .. ..
धारा 178. शपथ या प्रतिज्ञान से इन्कार करना जब कि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाए .. ..
धारा 179. प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इन्कार करना .. ..
धारा 180. कथन पर हस्ताक्षर करने से इन्कार.. .. .. ..

धाराएं

धारा 181. शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के, या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन . . . .

धारा 182. इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे. . . .

धारा 183. लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा सम्पत्ति लिए जाने का प्रतिरोध . .

धारा 184. लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई सम्पत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना . . . . . .

धारा 185. लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई सम्पत्ति का अवैध क्रय या उसके लिये अवैध बोली लगाना . . . . . .

धारा 186. लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना. . . .

धारा 187. लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो . . . . . .

धारा 188. लोक सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा . .

धारा 189. लोक सेवक को क्षति करने की धमकी . . . . . .

धारा 190. लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी . . . .

अध्याय 11

मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा 191. मिथ्या साक्ष्य देना . . . . . .

धारा 192. मिथ्या साक्ष्य गढ़ना . . . . . .

धारा 193. मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड . . . . . .

धारा 194. मृत्यु से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना . . . . . .

धारा 195. आजीवन कारावास या कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना . . . . . .

धारा 195-क. मिथ्या साक्ष्य देने के लिये किसी व्यक्ति को धमकाना या उत्प्रेरित करना

धारा 196. उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है . . .

धारा 197. मिथ्या प्रमाणपत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना . . . .

धारा 198. प्रमाणपत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, सच्चे के रूप में काम में लाना . . . . . .

धारा 199. ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन . . . . . .

धारा 200. ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लाना

धाराएं

धारा 201. अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना .. ..
यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय हो .. ..
यदि आजीवन कारावास से दण्डनीय हो .. ..
यदि दस वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय हो .. .. ..
धारा 202. इत्तिला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का साशय लोप
धारा 203. किये गये अपराध के विषय में मिथ्या इत्तिला देना .. .. ..
धारा 204. साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज का पेश किया जाना निवारित करने के लिये उसको नष्ट करना .. ..
धारा 205. वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण .. ..
धारा 206. सम्पत्ति को समपहरण किये जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किये जाने से निवारित करने के लिये उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना ..
धारा 207. सम्पत्ति पर उसके समपहरण किये जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किये जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा .. ..
धारा 208. ऐसी राशि के लिये, जो शोध्य न हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना .. ..
धारा 209. बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना .. .. ..
धारा 210. ऐसी राशि के लिये, जो शोध्य नहीं है, कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना
धारा 211. क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप .. ..
धारा 212. अपराधी को संश्रय देना .. ..
यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय हो .. ..
यदि अपराध आजीवन कारावास से, या कारावास से दण्डनीय हो ..
धारा 213. अपराधी को दण्ड से प्रतिच्छादित करने के लिये उपहार आदि लेना. . .
यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय हो .. ..
यदि आजीवन कारावास या कारावास से दण्डनीय हो .. ..
धारा 214. अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन .. ..
यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय हो .. ..
यदि आजीवन कारावास या कारावास से दण्डनीय हो .. ..
धारा 215. चोरी की सम्पत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिये उपहार लेना .. ..

धाराएं

धारा 216. ऐसे अपराधी को संश्रय देना, जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है. . . . . .
यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय हो 305
यदि आजीवन कारावास या कारावास से दण्डनीय हो . . . .
धारा216-क. लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिये शास्ति . . . . .
धारा 216-ख.धारा 212, धारा 216 और धारा 216-क में "संश्रय" की परिभाषा [निरसित]
धारा 217. लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दण्ड से या किसी सम्पत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा . . . .
धारा 218. किसी व्यक्ति को दण्ड से या किसी सम्पत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना. .
धारा 219. न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना . . . . . .
धारा 220. प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिये या परिरोध करने के लिये सुपुर्दगी. .
धारा 221. पकड़ने के लिये आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप. .
धारा 222. दण्डादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किये गये व्यक्ति को पकड़ने के लिये आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप . . . .
धारा 223. लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना . . . . . .
धारा 224. किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा . . . . . .
धारा 225. किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा . . . . . .
धारा 225-क. उन दशाओं में जिनके लिये अन्यथा उपबन्ध नहीं है लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना . . . .
धारा 225-ख. अन्यथा अनुपबन्धित दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना . . . . . .
धारा 226. निर्वासन से विधिविरुद्ध वापसी [निरसित] . . . . .
धारा 227. दण्ड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण . . . . . .
धारा 228. न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न . . . . . .
धारा 228-क. कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण .
धारा 229. जूरी सदस्य या असेसर का प्रतिरूपण . . . . . .

धाराएं

अध्याय 12

सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से सम्बन्धित अपराधों के विषय में

धारा 230. "सिक्का" की परिभाषा .. ..
भारतीय सिक्का .. ..
धारा 231. सिक्के का कूटकरण .. ..
धारा 232. भारतीय सिक्के का कूटकरण .. ..
धारा 233. सिक्के के कूटकरण के लिये उपकरण बनाना या बेचना.. ..
धारा 234. भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिये उपकरण बनाना या बेचना..
धारा 235. सिक्के के कूटकरण के लिये उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना .. ..
यदि भारतीय सिक्का हो .. ..
धारा 236. भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण .. ..
धारा 237. कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात .. ..
धारा 238. भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात या निर्यात .. ..
धारा 239. सिक्के का परिदान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था
धारा 240. उस भारतीय सिक्के का परिदान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था .. ..
धारा 241. किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिदान, जिसका परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था, कूटकृत होना नहीं जानता था .. ..
धारा 242. कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था .. ..
धारा 243. भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था .. ..
धारा 244. टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है .. .. ..
धारा 245. टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना..
धारा 246. कपटपूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना .. ..
धारा 247. कपटपूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना .. ..
धारा 248. इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाय .. ..

धाराएं

धारा 249. इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाय .. ..

धारा 250. ऐसे सिक्के का परिदान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है .. ..

धारा 251. भारतीय सिक्के का परिदान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है .. ..

धारा 252. ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया .. .. ..

धारा 253. ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया .. ..

धारा 254. सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिदान जिसका परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था, परिवर्तित होना नहीं जानता था .. ..

धारा 255. सरकारी स्टाम्प का कूटकरण .. ..

धारा 256. सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिये उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना .. ..

धारा 257. सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिये उपकरण बनाना या बेचना..

धारा 258. कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय .. ..

धारा 259. सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना .. .. ..

धारा 260. किसी सरकारी स्टाम्प को, कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना .. ..

धारा 261. इस आशय से कि सरकार को हानि कारित हो, उस पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिये उपयोग में लाया गया है .. .. .

धारा 262. ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है .. ..

धारा 263. स्टाम्प के उपयोग किये जा चुकने के द्योतक चिह्न का छीलकर मिटाना .. ..

धारा 263-क. बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध .. ..

अध्याय 13

बाटों और मापों से सम्बन्धित अपराधों के विषय में

धारा 264. तोलने के लिये खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग.. ..

धारा 265. खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग .. .. ..

धारा 266. खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना .. ..

धाराएं

धारा 267. खोटे बाट या माप को बनाना या बेचना .. .. ..

अध्याय 14

लोक-स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में

धारा 268. लोक न्यूसेन्स .. ..
धारा 269. उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिये संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना सम्भाव्य हो .. ..
धारा 270. परिद्वेषपूर्ण कार्य, जिससे जीवन के लिये संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना सम्भाव्य हो .. ..
धारा 271. करन्तीन के नियम की अवज्ञा .. ..
धारा 272. विक्रय के लिये आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण .. ..
धारा 273. अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय .. ..
धारा 274. औषधियों का अपमिश्रण .. ..
धारा 275. अपमिश्रित औषधियों का विक्रय .. ..
धारा 276. औषधि का भिन्न औषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय .. ..
धारा 277. लोक जल-स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना .. ..
धारा 278. वायुमण्डल को स्वास्थ्य के लिये अपायकर बनाना .. .. ..
धारा 279. लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना.. ..
धारा 280. जलयान का उतावलेपन से चलाना.. .. .. ..
धारा 281. भ्रामक प्रकाश, चिह्न या बोये का प्रदर्शन .. ..
धारा 282. अक्षेमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिये जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहण .. .. ..
धारा 283. लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा .. .. ..
धारा 284. विषैले पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण .. .. ..
धारा 285. अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण ..
धारा 286. विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण .. .. ..
धारा 287. मशीनरी के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण .. .. ..
धारा 288. किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण .. ..
धारा 289. जीवजन्तु के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण .. .. ..
धारा 290. अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेन्स के लिये दण्ड .. ..
धारा 291. न्यूसेन्स बंद करने के व्यादेश के पश्चात् उसका चालू रखना ..

धाराएं

धारा 292. अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि .. ..
धारा 293. तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि .. .. ..
धारा 294. अश्लील कार्य और गाने .. ..
धारा 294-क. लाटरी कार्यालय रखना .. ..

अध्याय 15

धर्म से सम्बन्धित अपराधों के विषय में

धारा 295. किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना .. ..
धारा 295-क. विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किये गये हों .. ..
धारा 296. धार्मिक जमाव में विघ्न करना .. ..
धारा 297. कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना.. .. .. ..
धारा 298. धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि .. ..

अध्याय 16

मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में

जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में

धारा 299. आपराधिक मानव वध .. ..
धारा 300. हत्या .. ..
धारा 301. जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध .. ..
धारा 302. हत्या के लिए दण्ड .. ..
धारा 303. आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिये दण्ड .. .. ..
धारा 304. हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिये दण्ड ..
धारा 304-क. उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना .. ..
धारा 304-ख. दहेज मृत्यु .. ..
धारा 305. शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण .. ..
धारा 306. आत्महत्या का दुष्प्रेरण .. ..
धारा 307. हत्या करने का प्रयत्न .. ..
आजीवन सिद्धदोष द्वारा प्रयत्न .. ..

धाराएं

धारा 308. आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न .. ..
धारा 309. आत्महत्या करने का प्रयत्न .. ..
धारा 310. ठग .. ..
धारा 311. दण्ड .. ..

गर्भपात कारित करने, अजात शिशुओं को क्षति कारित करने, शिशुओं को अरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में

धारा 312. गर्भपात कारित करना .. ..
धारा 313. स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना .. .. ..
धारा 314. गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु ..
यदि वह कार्य स्त्री की सम्मति के बिना किया जाए .. ..
धारा 315. शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य. . .. .
धारा 316. ऐसे कार्य द्वारा, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना .. .. ..
धारा 317. शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का अरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग .. ..
धारा 318. मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना .. .. ..

उपहति के विषय में

धारा 319. उपहति .. ..
धारा 320. घोर उपहति .. ..
धारा 321. स्वेच्छया उपहति कारित करना .. ..
धारा 322. स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना. . .. .
धारा 323. स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड .. .. ..
धारा 324. खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना. . ..
धारा 325. स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दण्ड .. .. ..
धारा 326. खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
धारा 327. सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना .. .. ..
धारा 328. अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना ..
धारा 329. सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना .. .. ..

धाराएं

धारा 330. संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना .. ..
धारा 331. संस्वीकृति उद्दापित करने के लिए या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना .. ..
धारा 332. लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना .. ..
धारा 333. लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना .. ..
धारा 334. प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करना .. .. ..
धारा 335. प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना .. .. ..
धारा 336. कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो ..
धारा 337. ऐसे कार्य द्वारा उपहति कारित करना, जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए .. ..
धारा 338. ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना, जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए .. ..

सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में

धारा 339. सदोष अवरोध .. ..
धारा 340. सदोष परिरोध .. ..
धारा 341. सदोष अवरोध के लिए दण्ड .. ..
धारा 342. सदोष परिरोध के लिए दण्ड .. ..
धारा 343. तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध. . .. ..
धारा 344. दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध .. .. ..
धारा 345. ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध, जिसके छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है .. ..
धारा 346. गुप्त स्थान में सदोष परिरोध .. ..
धारा 347. सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध .. ..
धारा 348. संस्वीकृति उद्दापित करने के लिए या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध .. ..

आपराधिक बल और हमले के विषय में

धारा 349. बल .. ..
धारा 350. आपराधिक बल .. ..

धाराएं

धारा 351. हमला .. ..

धारा 352. गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दण्ड .. ..

धारा 353. लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग .. ..

धारा 354. स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग .. ..

धारा 355. गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग. . .. ..

धारा 356. किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली सम्पत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग .. .. ..

धारा 357. किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग .. ..

धारा 358. गम्भीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग. .

व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के विषय में

धारा 359. व्यपहरण .. ..

धारा 360. भारत में से व्यपहरण .. ..

धारा 361. विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण. . .. .

धारा 362. अपहरण .. ..

धारा 363. व्यपहरण के लिए दण्ड .. ..

धारा 363-क. भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तवय का व्यपहरण या विकलांगीकरण .. ..

धारा 364. हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण .. .. ..

धारा 364-क. फिरौती आदि के लिए व्यपहरण. . .. .

धारा 365. किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण .. ..

धारा 366. विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत, करना अपहृत करना या उत्प्रेरित करना .. .. ..

धारा 366-क. अप्राप्तवय लड़की का उपापन .. ..

धारा 366-ख. विदेश से लड़की का आयात करना .. ..

धारा 367. व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व, आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण .. ..

धारा 368. व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना ..

धाराएं

धारा 369. दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण .. ..
धारा 370. दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या व्ययन करना .. ..
धारा 371. दासों का आभ्यासिक व्यौहार करना.. .. .. ..
धारा 372. वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचना .. ..
धारा 373. वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय का खरीदना .. ..
धारा 374. विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम .. ..

यौन अपराध

धारा 375. बलात्संग .. ..
धारा 376. बलात्संग के लिए दण्ड .. ..
धारा 376-क. पृथक् रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग ..
धारा 376-ख. लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में की किसी स्त्री के साथ संभोग ..
धारा 376-ग. जेल, प्रतिप्रेषण गृह, आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग.. .. ..
धारा 376-घ. अस्पताल के प्रबन्धक या कर्मचारिवृन्द आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग .. ..

प्रकृति विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा 377. प्रकृति विरुद्ध अपराध .. ..

अध्याय 17

सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के सम्बन्ध में

चोरी के विषय में

धारा 378. चोरी .. ..
धारा 379. चोरी के लिये दण्ड .. ..
धारा 380. निवास-गृह आदि में चोरी .. ..
धारा 381. लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की सम्पत्ति की चोरी ..
धारा 382. चोरी करने के लिये मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोरी .. ..

उद्दापन के विषय में

धारा 383. उद्दापन .. ..
धारा 384. उद्दापन के लिये दण्ड .. ..
धारा 385. उद्दापन करने के लिये किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना..

धाराएं

धारा 386. किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्दापन. . . .
धारा 387. उद्दापन करने के लिये किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना . . . . . .
धारा 388. मृत्यु या आजीवन कारावास, आदि से दण्डनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्दापन . . . . . .
धारा 389. उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना . . . . . .

लूट और डकैती के विषय में

धारा 390. लूट . . . . . .
चोरी कब लूट है . . . . . .
उद्दापन कब लूट है . . . . . .
धारा 391. डकैती . . . . . .
धारा 392. लूट के लिये दण्ड . . . . . .
धारा 393. लूट करने का प्रयत्न . . . . . .
धारा 394. लूट करने में स्वेच्छया उपहति कारित करना. . . . . .
धारा 395. डकैती के लिये दण्ड . . . . . .
धारा 396. हत्या सहित डकैती . . . . . .
धारा 397. मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती . .
धारा 398. घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न. . . .
धारा 399. डकैती करने के लिये तैयारी करना . . . . . .
धारा 400. डाकुओं की टोली का होने के लिये दण्ड . . . . . .
धारा 401. चोरों की टोली का होने के लिये दण्ड . . . . . .
धारा 402. डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना . . . . . .

सम्पत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में

धारा 403. सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग . . . . . .
धारा 404. ऐसी सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी . . . . . .

आपराधिक न्यास-भंग के विषय में

धारा 405. आपराधिक न्यास-भंग . . . . . .
धारा 406. आपराधिक न्यास-भंग के लिये दण्ड. . . . . .

धाराएं

धारा 407. वाहक, आदि द्वारा आपराधिक न्यास-भंग .. ..
धारा 408. लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास-भंग.. .. ..
धारा 409. लोक सेवक द्वारा या बैंकार, व्यापारी या अभिकर्त्ता द्वारा आपराधिक न्यास-भंग .. ..

चुराई हुई सम्पत्ति प्राप्त करने के विषय में

धारा 410. चुराई हुई सम्पत्ति .. ..
धारा 411. चुराई हुई सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना .. .. ..
धारा 412. ऐसी सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है .. ..
धारा 413. चुराई हुई सम्पत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना .. .. ..
धारा 414. चुराई हुई सम्पत्ति छिपाने में सहायता करना.. .. ..

छल के विषय में

धारा 415. छल .. ..
धारा 416. प्रतिरूपण द्वारा छल .. ..
धारा 417. छल के लिये दण्ड .. ..
धारा 418. इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिये अपराधी आबद्ध है.. ..
धारा 419. प्रतिरूपण द्वारा छल के लिये दण्ड .. ..
धारा 420. छल करना और सम्पत्ति परिदत्त करने के लिये बेईमानी से उत्प्रेरित करना

कपटपूर्ण विलेखों और सम्पत्ति-व्ययनों के विषय में

धारा 421. लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिये सम्पत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना .. ..
धारा 422. ऋण को लेनदारों के लिये उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना .. ..
धारा 423. अन्तरण के ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के सम्बन्ध में मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन .. ..
धारा 424. सम्पत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना.. ..

रिष्टि के विषय में

धारा 425. रिष्टि .. ..
धारा 426. रिष्टि के लिये दण्ड .. ..

धाराएं

धारा 427. रिष्टि जिससे पचास रुपये का नुकसान होता है .. .. ..
धारा 428. दस रुपये के मूल्य के जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि .. ..
धारा 429. किसी मूल्य के ढोर, आदि को या पचास रुपये के मूल्य के किसी जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि .. .. ..
धारा 430. सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रिष्टि ..
धारा 431. लोक सड़क, पुल, नदी या जलसरणी को क्षति पहुँचाकर रिष्टि ..
धारा 432. लोक जल निकास में नुकसानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि
धारा 433. किसी दीपगृह या समुद्री चिह्न को नष्ट करके, हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि .. ..
धारा 434. लोक प्राधिकारी द्वारा लगाये गये भूमि चिह्न के नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि .. ..
धारा 435. सौ रुपये का या (कृषि उपज की दशा में) दस रुपये का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि ..
धारा 436. गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि.. .. ..
धारा 437. तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्टि .. ..
धारा 438. धारा 437 में वर्णित अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई रिष्टि के लिये दण्ड .. ..
धारा 439. चोरी, आदि करने के आशय से जलयान को साशय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिये दण्ड .. ..
धारा 440. मृत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् की गई रिष्टि.. ..

आपराधिक अतिचार के विषय में

धारा 441. आपराधिक अतिचार .. ..
धारा 442. गृह-अतिचार .. ..
धारा 443. प्रच्छन्न गृह-अतिचार .. ..
धारा 444. रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार .. ..
धारा 445. गृह-भेदन .. ..
धारा 446. रात्रौ गृह-भेदन .. ..
धारा 447. आपराधिक अतिचार के लिये दण्ड.. .. .. ..
धारा 448. गृह-अतिचार के लिये दण्ड .. ..
धारा 449. मृत्यु से दण्डनीय अपराध को करने के लिये गृह-अतिचार .. ..

धाराएं

धारा 450. आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध को करने के लिये गृह-अतिचार

धारा 451. कारावास से दण्डनीय अपराध को करने के लिये गृह-अतिचार . .

धारा 452. उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह-अतिचार

धारा 453. प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिये दण्ड . . . . . .

धारा 454. कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिये प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन . . . . . .

धारा 455. उपहति, हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन . . . . . .

धारा 456. रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन के लिये दण्ड . .

धारा 457. कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिये रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन . . . . . .

धारा 458. उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन . . . . . .

धारा 459. प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करते समय घोर उपहति कारित हो

धारा 460. रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन में संयुक्तत: सम्पृक्त समस्त व्यक्ति दण्डनीय हैं, जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित की गई हो . . . . . .

धारा 461. ऐसे पात्र को, जिसमें सम्पत्ति है, बेईमानी से तोड़कर खोलना . .

धारा 462. उसी अपराध के लिये दण्ड, जब कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसे अभिरक्षा न्यस्त की गई है . . . . . .

अध्याय 18

दस्तावेजों और सम्पत्ति चिह्नों सम्बन्धी अपराधों के विषय में

दस्तावेजों के विषय में

धारा 463. कूटरचना . . . . . .

धारा 464. मिथ्या दस्तावेज रचना . . . . . .

धारा 465. कूटरचना के लिये दण्ड . . . . . .

धारा 466. न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना. . . .

धारा 467. मूल्यवान प्रतिभूति, विल, इत्यादि की कूटरचना . . . . . .

धारा 468. छल के प्रयोजन से कूटरचना . . . . . .

धारा 469. ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूटरचना . . . .

धारा 470. कूटरचित दस्तावेज . . . . . .

धाराएं

धारा 471. कूटरचित दस्तावेज का असली के रूप में उपयोग में लाना . . . .
धारा 472. धारा 467 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना. . . . . .
धारा 473. अन्यथा दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना . . . . . .
धारा 474. धारा 466 या 467 में वर्णित दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए, कब्जे में रखना . . . . . .
धारा 475. धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिये उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना . . . . . .
धारा 476. धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिये उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना . . .
धारा 477. विल, दत्तकग्रहण, प्राधिकरण-पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट, आदि करना . . . . . .
धारा 477-क. लेखा का मिथ्याकरण . . . . . .

सम्पत्ति चिह्नों और अन्य चिह्नों के विषय में

धारा 478. व्यापार चिह्न [निरसित] . . . . . .
धारा 479. सम्पत्ति चिह्न . . . . . .
धारा 480. मिथ्या व्यापार चिह्न का प्रयोग किया जाना [निरसित] . . . .
धारा 481. मिथ्या सम्पत्ति चिह्न को उपयोग में लाना . . . . .
धारा 482. मिथ्या सम्पत्ति चिह्न का उपयोग करने के लिये दण्ड . . . .
धारा 483. अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाये गये सम्पत्ति चिह्न का कूटकरण . .
धारा 484. लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाये गये चिह्न का कूटकरण. . . . .
धारा 485. सम्पत्ति चिह्न के कूटकरण के लिये कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा
धारा 486. कूटकृत सम्पत्ति चिह्न से चिह्नित माल का विक्रय. . . . . .
धारा 487. किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिह्न बनाना जिसमें माल रखा है . .
धारा 488. किसी ऐसे मिथ्या चिह्न को उपयोग में लाने के लिये दण्ड. . . . .
धारा 489. क्षति कारित करने के आशय से सम्पत्ति चिह्न को बिगाड़ना . .

करेन्सी नोटों और बैंक नोटों के विषय में

धारा 489-क. करेन्सी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण . . . . .

धाराएं

धारा 489-ख. कूटरचित या कूटकृत करेन्सी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना .. ..

धारा 489-ग. कूटरचित या कूटकृत करेन्सी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना .. ..

धारा 489-घ. करेन्सी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिये उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना .. ..

धारा 489-ङ. करेन्सी नोटों या बैंक नोटों से सादृश्य रखने वाली दस्तावेजों की रचना या उपयोग .. ..

अध्याय 19

सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में

धारा 490. समुद्र-यात्रा या यात्रा के दौरान सेवा भंग [निरसित] .. ..

धारा 491. असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग .. ..

धारा 492. दूर वाले स्थान पर सेवा करने का संविदा भंग जहाँ सेवक को मालिक के खर्चे पर ले जाया जाता है। [निरसित] .. .. ..

अध्याय 20

विवाह सम्बन्धी अपराधों के विषय में

धारा 493. विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास .. ..

धारा 494. पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना .. ..

धारा 495. वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ पश्चात्वर्ती विवाह किया जाता है .. ..

धारा 496. विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म पूरा कर लेना ..

धारा 497. जारकर्म .. ..

धारा 498. विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या ले जाना या निरुद्ध रखना .. ..

अध्याय 20-क

पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में

धारा 498-क. किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना .. ..

अध्याय 21

मानहानि के विषय में

धारा 499. मानहानि .. ..

धाराएं

धारा 500. मानहानि के लिये दण्ड .. ..
धारा 501. मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना .. ..
धारा 502. मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का बेचना ..

अध्याय 22

आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में

धारा 503. आपराधिक अभित्रास .. ..
धारा 504. लोकशांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान ..
धारा 505. लोक रिष्टिकारक वक्तव्य .. ..
धारा 506. आपराधिक अभित्रास के लिये दण्ड .. ..
यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो ..
धारा 507. अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास .. .. ..
धारा 508. व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिये उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य .. ..
धारा 509. शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिये आशयित है .. ..
धारा 510. मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार .. .. ..

अध्याय 23

अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में

धारा 511. आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिये दण्ड .. ..

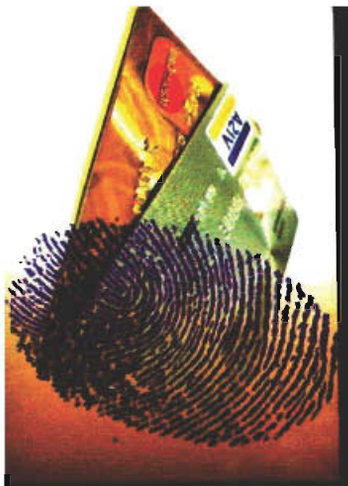

भारतीय दण्ड संहिता, 1860

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का यह नवम् संस्करण पूर्णतः नए कलेवर, साज–सज्जा व अधुनातन परिवर्तनों को शामिल करते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है। इस अंक में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम– 2000 द्वारा अन्तःस्थापित तथा प्रतिस्थापित धारा परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण विनिश्चयों को भी स्थान दिया गया है। पाठ्य सामग्री को और अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम तथा दण्ड संहिता के संदर्भ में प्रादेशिक स्तर पर होने वाले कानूनी बदलाव पर ख़ास ध्यान दिया गया है। धारावाही क्रम में लिखी गई ये पुस्तक विशद् टिप्पणियों, उदाहरणों, सारगर्भित विवेचनाओं से युक्त है, भाषा–शैली पहले के मुक़ाबले अधिक सरल व बोधगम्य है।

निःसंदेह देवनागरी लिपि में लिखी ये पुस्तक हिन्दी विधि जगत से जुड़े प्राध्यापकों, प्रतियोगी छात्रों के साथ–साथ न्यायालयी कार्यों से संबंध रखने वाले तमाम लोगों के लिए लाभप्रद और बहुपयोगी सिद्ध होगी।

Eastern Book Company
India's leading law information provider

ebcwebstore.com
The largest number of legal titles online!

ISBN: 93-5028-140-6
EAN 9 789350 281406 AB/140